

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2 गवर्मेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता-700001.

O.O.No.Admn.I/TP/Asstt.Supvr./110

दिनांक: 09.12.2024

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश सं. Admn.I/Prom-Asstt.Supvr./Vol.I/106 दिनांक 28.11.2024 के अनुसरण में सुश्री शाश्वती (घोष) दत्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षक की पदोन्नति सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के पद पर वेतन मैट्रिक्स तालिका के स्तर 7 (रू 44900-142400/-) में की गई है जो दिनांक 01.12.2024 (पूर्वाह्न) अथवा उस तिथि से जब वे वास्तव में सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के रूप में कार्यभार का निष्पादन करते हैं, जो भी बाद में हो और अगामी आदेश तक प्रभावी है।

सुश्री दत्ता ने दिनांक 02.12.2024 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण कर दिनांक 01.12.2024, रविवार को सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

सुश्री (शाश्वती) घोष दत्ता, नव पदोन्नत सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) को इस कार्यालय के एएमजी-I समूह में पदस्थ किया गया है।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

//प्रधिकार: दिनांक 06.12.2024 को प्रधान महालेखाकार के आदेश
फाइल प्रशा.1/टीपी/सहायक पर्यवेक्षक में रखा गया//


वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु द्वारा प्रति प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700001
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कोम्प्लेक्स, 5वां तल, साल्ट लेक, कोलकाता-700064
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा)/विशेष कक्ष, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ट्रेजरी बिल्डिंग्स, कोलकाता - 700 001
4. सचिव, उप महालेखाकार, (एएमजी-I एवं प्रशा.)/ उप.महा(एएमजी-II)/उप.महा (एएमजी-III)/ उप.महा (एएमजी-IV)
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, (प्रशासन-II/ प्रशासन-III/ प्रशासन-IV/ प्रशासन-V/ ए.एम.जी.-I (मुख्य.)/ ए.एम.जी.-II(समन्वय)/ ए.एम.जी.-III-गैर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग/ ए.एम.जी-4(समन्वय)/ फाव/ रिपोर्ट/ आई.टी.ए./ ई.सी.पी.ए./ डी.ए.एस./कल्याण)
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कोम्प्लेक्स, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग, पांचवा तल, साल्ट लेक, कोलकाता-700064
7. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.2/ प्रशा.-3/ प्रशा.सीसी/प्रशिक्षण/अभिलेख/संपदा/एएजी-1(मुख्य.)/एएमजी-II(समन्वय)/एएमजी-III गैर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग/ए.एम.जी-IV(समन्वय)/ फाव/ रिपोर्ट/ आई.टी.ए./ ई.सी.पी.ए./ डी.ए.एस./ ई.डी.पी)
8. इस कार्यालय आदेश को कंपोजित वेबसाइट में प्रकाशित करने के लिए ई.डी.पी अनुभाग को प्रति सूचनार्थ
9. संबंधित व्यक्ति


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)